A/0 282

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

सत्यमेव जयते

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किदवई नगर,नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सं. कभनिसं./मुख्या./भर्ती/प्रतिनियुक्ति/विज्ञा.-04/2025/ले.परी./ई-1129743/15525 दिनांक: 04.02.2026

नियुक्ति प्रस्ताव

विषय: कमर्चारी भविष्य निधि संगठन में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सहायक लेक्षापरीक्षा अधिकारी के पद पर चयन हेतु गठित स्क्रीनिंग सह-चयन समिति की सिफारिश पर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सहायक लेक्षापरीक्षा अधिकारी के पद पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 [वेतन बैंड-2 रु 9,300-34,800 ग्रेड पे ₹4,600 (पूर्व संशोधित)] पर **नियुक्ति प्रस्ताव** आरंभ में तीन वर्षों के लिए, निम्नलिखित अधिकारियों को जारी किए जाते हैं

क्र. सं.	नाम एवं उम्मीदवार का पद	वर्तमान कार्यालय	तैनाती स्थल
1.	महेंद्र रवानी, अनुभाग पर्यवेक्षक	क्षे.का., कोल्हापुर	कोलकाता
2.	मदन कुमार दास, अनुभाग पर्यवेक्षक	क्षे.का., कोल्हापुर	कोलकाता
3.	राजेश कुमार सिन्हा, व.सा.सु.सा.	क्षे.का., वाराणसी	दिल्ली एवं मुख्यालय, नई दिल्ली
4.	कुमार समीर, अनुभाग पर्यवेक्षक	क्षे.का., कोल्हापुर	कोलकाता
5.	अम्बरीष चंद्र चौधरी, व.सा.सु.सा.	क्षे.का., दिल्ली (पूर्व)	दिल्ली एवं मुख्यालय, नई दिल्ली
6.	विक्रम लाल मीणा, व.सा.सु.सा.	क्षे.का., भरूच	अहमदाबाद
7.	शशि भूषण मंगरोनी, अनुभाग पर्यवेक्षक	क्षे.का., दिल्ली (पूर्व)	दिल्ली एवं मुख्यालय, नई दिल्ली
8.	शुभ कान्त मिश्रा, अनुभाग पर्यवेक्षक	क्षे.का., ठाणे (दक्षिण)	मुंबई
9.	राकेश कुमार, व.सा.सु.सा.	क्षे.का., ठाणे (दक्षिण)	कानपुर
10.	संतोष कुमार गोस्वामी, अनुभाग पर्यवेक्षक	क्षे.का., ठाणे (दक्षिण)	मुंबई
11.	राहुल रमाकांत हिरेलकर, अनुभाग पर्यवेक्षक	क्षे.का.,मुंबई-I (बांद्रा)	पुणे
12.	धीरज के. जेठानण्दनी, व.सा.सु.सा.	क्षे.का., बांद्रा	मुंबई
13.	थोटा वेंकट पालगुना, लेखापरीक्षक*	आई ए पी, हैदराबाद	बेंगलुरू

*श्री थोटा वेंकट पालगुना, जो दिनांक 08.02.2024 से प्रतिनियुक्ति पर लेखापरीक्षक के तौर पर काम कर रहे हैं, की प्रतिनियुक्ति का समय उनके सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के तौर पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर उनकी मौजूदा प्रतिनियुक्ति के बचे हुए समय के पूरा होने तक होगा।

2. **प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की शर्तें एवं नियम इस प्रकार हैं:-**

(i) प्रतिनियुक्ति की शर्तें और नियम कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/229/91-स्था./(वेतन II) दिनांक 05.01.1994 कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009-स्था.((वेतन II) दिनांक 17.06.2010 तथा कार्मिक, लोक शिकायत और

पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य अनुदेशों/ज्ञापन द्वारा अभिशासित होंगे।

(ii) नियुक्ति आदेश संबंधित अधिकारी की लिखित सहमति प्राप्त होने के बाद जारी किया जाएगा, जो उपर्युक्त नियम एवं शर्तों के अधीन नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

(iii) वह नियमानुसार टीए/डीए और कार्यभार ग्रहण करने का समय लेने के पात्र होंगे।

(iv) यदि चयनित कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर दो वर्ष पूरे होने से पहले अपने मूल कार्यालय में जाना चाहता है, तो वापसी पर कोई स्थानांतरण टीए / डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, यदि कार्मिक एक वर्ष या उससे कम समय के भीतर अपने मूल कार्यालय में जाना चाहता है, तो पहले से भुगतान किया गया स्थानांतरण टीए / डीए, यदि कोई है, भी वसूल किया जाएगा।

(v) पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने पर, प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति की तिथि पर प्रतिनियुक्त अधिकारी को कार्यमुक्त माना जाएगा, जब तक सक्षम प्राधिकारी, प्रतिनियुक्ति की अवधि की समाप्ति तिथि से पूर्व लिखित रूप में विस्तारित न कर दे।

(vi) यदि कोई अधिकारी किसी भी कारण से निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रुकता है, तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा अन्य प्रतिकूल परिणाम भी भुगतने होंगे, जिसमें यह शामिल है कि अनधिकृत रूप से अधिक समय तक रुकने की अवधि को पेंशन के उद्देश्य के लिए सेवा में नहीं गिना जाएगा तथा अनधिकृत रूप से अधिक समय तक रुकने की अवधि के दौरान देय कोई भी वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से उस तिथि तक स्थगित कर दी जाएगी, जिस तिथि को अधिकारी अपने मूल कैडर में वापस आ जाता है।

3. यदि उपर्युक्त नियम एवं शर्तें स्वीकार्य हैं, तो उपर्युक्त कार्मिक/अधिकारी उचित माध्यम से अपनी लिखित सहमति और नवीनतम सतर्कता अनापत्ति प्रमाणपत्र कार्यालय को नियुक्ति के इस प्रस्ताव की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर भेज दें।

[यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है]

दीपक आर्य
(दीपक आर्य)

क्षे.भ.नि.आ-II (भर्ती)

सेवा में,

उपर्युक्त सभी कार्मिक
(उनके संबंधित आंचलिक कार्यालय के माध्यम से)

प्रतिलिपि (कभनिसं वेबसाइट के माध्यम से)-

1. कें.भ.नि.आ. के निजी सचिव।
2. वि. सला. एवं मु. ले. अधि. /मु. सत. अधि./सभी अ. कें.भ.नि.आ. (मुख्या.)/ निदेशक (पीडीनास)/ सभी अ. कें.भ.नि.आ. के निजी सचिव।
3. मुख्या अभियन्ता/ मुख्य प्रोद्योगिकी अधिकारी/ मुख्य सूचना एवं सुरक्षा अधिकारी
4. मुख्यालय सहित सभी क्षे.भ.नि. आयुक्त प्रभारी (सभी क्षेत्रीय कार्यालय)।
5. क्षे.भ.नि. आयुक्त (एनडीसी) - वेबसाइट पर आदेश अपलोड करने हेतु।
6. महासचिव, क.भ.नि. अधिकारी एसोसिएशन, लुधियाना।
7. महासचिव, अ.भा. क.भ.नि. स्टाफ फेडरेशन, चेन्नई।
8. एसीआर/जीआईएस अनुभाग, मुख्यालय, गार्ड फ़ाइल।

दीपक आर्य
(दीपक आर्य)

क्षे.भ.नि.आ-II (भर्ती)